झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
पंचम् (बजट)– सत्र
वर्ग– 02

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक– 11 फाल्गुन, 1942 [श0] को 02 मार्च, 2021 [ई0] झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0–	विभागों को भेजी गई सा0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06
29–	अ0सू0– 09	श्री सरयू राय	सेंक्चुअरी की संरक्षण	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन	22.02.2021
30–	अ0सू0– 38	श्री प्रदीप यादव	शिक्षकों के मामलों का निष्पादन।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	25.02.2021
31–	अ0सू0– 32	श्री कमलेश कु0 सिंह	गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	25.02.2021
32–	अ0सू0– 15	श्री बंधु तिर्की	पेंशन/उपादान की सुविधा।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	22.02.2021
33–	अ0सू0– 25	श्री विनोद कु0 सिंह	पारा शिक्षकों के हित में निर्णय	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	22.02.2021
34–	अ0सू0– 06	श्री बिरंची नारायण	पर्यटक मित्र को बहाल करना।	पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	17.02.2021
35–	अ0सू0– 11	डॉ0 सरफराज अहमद	शिक्षकों की नियुक्ति	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	22.02.2021

36–	अ0सू0– 36	प्रो0 स्टीफन मराण्डी	शिक्षकों का वेतन भुगतान	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	25.02.2021
37–	अ0सू0– 13	डॉ0 सरफराज अहमद	अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	22.02.2021
38–	अ0सू0– 12	श्री मनीष जायसवाल	लोकपाल का गठन	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	22.02.2021
39–	अ0सू0– 03	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	प्रबंधक पर कार्रवाई।	खान एवं भूतत्व	17.02.2021
40–	अ0सू0– 24	श्री विनोद कु0 सिंह	बकाया राशि वसूलना।	खान एवं भूतत्व	22.02.2021
41–	अ0सू0– 23	श्री समीर कु0 मोहन्ती	अनुज्ञा पत्र निर्गत करना।	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन	22.02.2021
# 42–	अ0सू0– 08	श्री भानु प्रताप शाही	जमीन की घेराबंदी	पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	22.02.2021
43–	अ0सू0– 14	श्री सुदिव्य कुमार	जेटेट पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	22.02.2021
44–	अ0सू0– 35	सुश्री अम्बा प्रसाद	शिक्षण संस्थाओं को अनुदान भुगतान।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	25.02.2021
45–	अ0सू0– 45	श्री कुमार जयमंगल	पारा शिक्षकों का नियमितिकरण	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	25.02.2021
46–	अ0सू0– 10	श्री सरयू राय	फर्जी घोषणा की जाँच।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	22.02.2021
Δ 47–	अ0सू0– 04	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	मानदेय देना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	17.02.2021
48–	अ0सू0– 01	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	मैदान बनाना।	पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	17.02.2021
49–	अ0सू0– 34	श्री मथुरा प्रसाद महतो	सेवाशर्त्त नियमावली लागू करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	25.02.2021
* 50–	अ0सू0– 33	श्री मथुरा प्रसाद महतो	माटी कला बोर्ड का गठन।	पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	25.02.2021
51–	अ0सू0– 31	श्री अनन्त कु0 ओझा	पुस्तकालय का निर्माण।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	25.02.2021

कृ0पृ0उ0

→ पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के ज्ञापांक-359/24.02.21 द्वारा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को स्थानान्तरित।

Δ → स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के ज्ञापांक-550/19.02.21 द्वारा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को स्थानान्तरित।

* → पर्यटन, कला-संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के ज्ञापांक-396/26.02.21 द्वारा पर्यटन विभाग को स्थानान्तरित।

01.	02.	03.	04.	05.	06
52—	अ0सू0— 17	श्री सुदिव्य कुमार	स्वीकृत पद पर प्रोन्नति।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	22.02.2021
53—	अ0सू0— 02	श्री बिरंची नारायण	शिक्षकों की नियुक्ति।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	17.02.2021

राँची,
दिनांक— 02 मार्च, 2021

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापांक— ज्ञा0वि0स0 प्रश्न— 03/2020 655 /वि0स0, रांची, दिनांक— 27/2/21

प्रतिः— झारखण्ड विधान—सभा के माननीय सदस्यगण/मा0 मुख्यमंत्री/मा0 मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

(सुरेश रजक)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान—सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या— प्रश्न— 03/2020 655 /वि0स0, रांची, दिनांक— 27/2/21

प्रतिः— आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय/अपर सचिव (प्रश्न)/संयुक्त सचिव (प्रश्न), झारखण्ड विधान सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/सचिव महोदय एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान—सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या— प्रश्न— 03/2020 655 /वि0स0, रांची, दिनांक— 27/2/21

प्रतिः— कार्यवाही शाखा/आश्वासन समिति शाखा एवं वेबसाईट शाखा/ऑनलाईन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान—सभा, राँची।

27/02/2021

सुभाष

(30)

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री प्रदीप यादव, मा.स.वि.स. से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ.सू.–38

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	**श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, माननीय प्रभारी मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी जिलों में शिक्षकों के प्रोन्नति, पेंशन एवं अन्य देय सुविधाओं के मामले बड़ी संख्या में लंबे समय से लंबित है;	वस्तुस्थिति यह है कि सहायक शिक्षक संवर्ग में नियुक्त अप्रशिक्षित एवं प्रशिक्षित शिक्षकों के पारस्परिक वरीयता के निर्धारण से संबंधित अनेकों वाद में माननीय उच्च न्यायालय, राँची द्वारा पारित न्यायादेशों के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या–3027, दिनांक 14.12.2015 एवं संकल्प संख्या–1145, दिनांक 17.06.2019 निर्गत है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–6752, दिनांक 24.12.2020 के द्वारा राज्य के सभी सेवाओं एवं पदों में प्रोन्नति पर तत्काल प्रभाव से स्थगित है। शिक्षकों को सेवानिवृति लाभ शीघ्रताशीघ्र प्रदान करने हेतु एच.आर.एम.एस. व्यवस्था, को अद्यतन करने, सेवानिवृति के छः माह पूर्व पेंशन प्रपत्र उपलब्ध कराने एवं पेंशन के मामले के निपटारे हेतु "पेंशन आपके द्वार" कार्यक्रम संचालित है।
2.	क्या यह बात सही है कि इन मामलों के निष्पादन हेतु शिक्षकों को न्यायालय तक जाना पड़ता है;	कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
3.	क्या यह बात सही है कि इन मामलों के निष्पादन में सरकार को अतिरिक्त वित्तीय बोझ, समय की बर्बादी एवं पठन-पाठन पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है;	कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार इन मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था एवं ठोस पहल करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

अशोक
28/02/21
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 16/वि.2–21/2021..335..../ राँची, दिनांक 28.../02.../2021

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 368, दिनांक 25.02.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अशोक
28/02/21
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

(31)

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री कमलेश कुमार सिंह, मा.स.वि.स. से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ.सू.–32

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	**श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, माननीय प्रभारी मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है कि वैश्विक महामारी कोरोना (कोविड-19) के कारण विद्यालय में मार्चए 2020 से अभी तक पठन-पाठन का कार्य बंद है;	आंशिक स्वीकारात्मक । कक्षा 10 एवं 12 के लिए विद्यालय दिनांक 21.12.2020 से प्रारंभ है । कक्षा 8, 9 एवं 11 के लिए विद्यालय दिनांक 01.03.2021 से प्रारंभ होगी । कोविड – 19 के फलस्वरूप विद्यालय बंद होने की स्थिति में विभाग द्वारा विद्यार्थियों के पठन–पाठन की निरंतरता को बनाये रखने हेतु निम्नांकित गतिविधियों का संचालन किया गया है :– • कोविड – 19 के दौरान कक्षा 1 से 8 के सभी विद्यार्थियों एवं कक्षा 9 एवं 10 की छात्राओं को उनके घरों तक पाठ्य–पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं । यह सुविधा राज्य के लगभग 39 लाख विद्यार्थियों को प्राप्त हुई है । • कक्षा 1 से 8 के सभी विद्यार्थियों को उनके घरों तक वर्कबुक उपलब्ध करायी गयी है । यह सुविधा राज्य के लगभग 36 लाख विद्यार्थियों को प्राप्त हुई है । • दूरदर्शन के माध्यम से प्रत्येक दिन 3 घण्टे की कक्षा "हमारा दूरदर्शन–हमारा विद्यालय" का संचालन किया गया जिसमें राज्य के लगभग 10 लाख विद्यार्थियों ने भाग लिया है। • व्हाट्सअप के माध्यम से प्रत्येक दिन विद्यार्थियों को पठन सामग्री उपलब्ध करायी गई जिससे राज्य के लगभग 13 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। • झारखण्ड डीजी स्कूल एप तथा लर्नेटिक एप के माध्यम से पठन सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है । उक्त एप के माध्यम से राज्य के लगभग 10 लाख विद्यार्थी आच्छादित हुये हैं । • विभिन्न स्वंयसेवी संगठनों तथा शिक्षकों के सहयोग से मोहल्ला कक्षा का आयोजन किया गया । विद्यालयों में आई.सी.टी. के क्षेत्र में

		आधारभूत संरचना को विकसित करने पर नि_र कार्य किया जा रहा है । वर्त्तमान में 974 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आई.सी.टी. लैब की स्थापना की गई है तथा निरंतर इसका उपयोग विद्यार्थियों के द्वारा किया जा रहा है ।
2.	क्या यह बात सही है कि सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत् बच्चों को कनेक्टेड स्मार्ट क्लासेज की व्यवस्था कर जिसे स्ट्रीमिंग के लिए स्टूडियों से जोड़कर हर विषय के विशेषज्ञों द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाई जा सकती है;	स्वीकारात्मक । विभाग द्वारा कोविड – 19 वैश्विक महामारी की चुनौतियों के बीच कई विकल्पों पर कार्य किया जा रहा है । इसमें मुख्य रूप से आई.सी.टी. योजना का क्रियान्वयन अहम है । • वर्त्तमान में 974 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आई.सी.टी. लैब की स्थापना की गई है । • 1203 विद्यालयों में आई.सी.टी. लैब के स्थापना की दिशा में कार्य किया जा रहा है । • विद्यालयों में स्मार्ट क्लास के अधिष्ठापन हेतु राज्य के 1000 विद्यालयों को नीति आयोग द्वारा संपोषित किया गया है जिसपर कार्रवाई की जा रही है । राज्य के 4496 आदर्श विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की योजना स्वीकृत है ।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत् बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु कनेक्टेड स्मार्ट क्लासेज की व्यवस्था करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर उपर्युक्त खण्डों में निहित है ।

ह०/- 26/3/21
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 16/वि.2–18/2021...340....../ राँची, दिनांक 26...../03..../2021

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 373, दिनांक 25.02.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 26/3/21
सरकार के अवर सचिव

(32)

457
01/03/2021

श्री बंधू तिर्की, स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–15

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार के संकल्प सं0–2020 दिनांक 24.10.2014 के द्वारा 186 मदरसों एवं 12 संस्कृत विद्यालयों के कर्मियों को तत्कालीन सरकार ने पेंशन उपादान की सुविधा प्रदान करने की स्वीकृति दी थी;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को मदरसा एवं संस्कृत की सेवानिवृत्त एवं दिसम्बर, 2004 से पूर्व बहाल हुए लाभान्वित सेवानिवृत्त शिक्षकों को भेजी गयी सूची के अनुसार 646 है;	स्वीकारात्मक है।
3	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार के संकल्प सं0–1773 दिनांक 21.06.2018 के द्वारा संकल्प सं0–2020 दिनांक 24.10.2014 को निरस्त कर मदरसा एवं संस्कृत कर्मियों को पेंशन/उपादान की सुविधा से वंचित कर दिया, जबकि भारत के विभिन्न राज्यों उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एवं बंगाल आदि में ये सुविधा प्राप्त है;	वस्तुस्थिति यह है कि इन मदरसों के कर्मियों को दी जा रही पेंशन की सुविधा को अधिसूचना संख्या–990 दिनांक–30.03.2018 द्वारा गठित समिति के प्रतिवेदन के आधार पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–19.06.2018 के मद संख्या–06 में लिए गए निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या– 2020 दिनांक–24.10.2014 को संकल्प संख्या–1773 दिनांक–01.06.2018 द्वारा निरस्त किया गया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संकल्प सं0–1773 दिनांक 21.06.2018 को निरस्त कर संकल्प सं0–2020 दिनांक 24.10.2014 को बहाल करते हुए मदरसा एवं संस्कृत कर्मियों को अल्पसंख्यक विद्यालयों की तरह पेंशन उपादान की सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं हो क्यों ?	सम्प्रति राज्य सरकार के समक्ष मदरसा एवं संस्कृत कर्मियों को अल्पसंख्यक विद्यालयों की तरह पेंशन/उपादान की सुविधा प्रदान करने हेतु कोई नया प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

01/03/2021
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–05/2021 457   राँची, दिनांक 01/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/2021
सरकार के उप सचिव।

33

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री विनोद कुमार सिंह, मा.स.वि.स. से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या अ.सू.-25

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, माननीय प्रभारी मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में 65 हजार पारा शिक्षकों के वेतनमान व स्थायीकरण हेतु उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया गया था,	पारा शिक्षकों के रूप में नियोजन के शर्तों के उन्नयन हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि आज 8 माह बाद भी टेट पास पारा शिक्षकों को सरकारी शिक्षक व अन्य के वेतनमान पर अब तक निर्णय नहीं लिया जा सका, जिसके कारण पारा शिक्षक पुनः आंदोलनरत्तर है,	वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2012 (यथा संशोधित-2014, 2015, 2019) में शिक्षकों के रिक्त पदों में से 50 प्रतिशत पद टेट पास वांछित अहर्ताधारी पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पारा शिक्षकों के हित में तत्काल निर्णय लेने की विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उच्च स्तरीय समिति द्वारा तैयार पारा शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन प्रारूप पर विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श प्राप्त कर लिया गया है, जिस पर उच्च स्तरीय समिति के अंतिम निर्णय अनुमोदन के बाद पारा शिक्षक सेवा शर्त विनियमन लागू कर दी जायेगी।

अ.कु.सिंह 24/2/21

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 16/वि.2 -05/2021...339.../ राँची, दिनांक 24/02/2021

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 101, दिनांक 22.02.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अ.कु.सिंह 24/2/21

सरकार के अवर सचिव

Dursh/d

(34)

श्री बिरंची नारायण, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 02.03.2021 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित सं०–06 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के समस्त जिलों में कोई न कोई बड़ा पर्यटक स्थल जरूर स्थित है, जहां सालों भर पर्यटक घूमने के लिए आते है। झारखण्ड मे विभिन्न जलप्रपात और डैम अवस्थित है, और प्रत्येक वर्ष इन जगहों पर कोई न कोई हृदय–विदारक घटना घटती है, जिससे पर्यटकों की मृत्यु तक हो जाती है;	1.	**आंशिक स्वीकारात्मक** झारखण्ड प्राकृतिक आपदाओं के मामले में देश भर के सबसे सुरक्षित प्रदेशों में एक है। यदा–कदा मानवीय भूलों के कारण कुछ जलप्रपातों मे दुर्घटनाएं होती है, परन्तु इनकी संख्या बहुत ही कम है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त समस्त पर्यटन स्थलों पर विभाग ने कोई भी पर्यटक–मित्र और पर्यटन विभाग के कर्मियों की नियुक्ति नहीं की है, जिससे पर्यटकों को सही मार्गदर्शन और सुरक्षा नियमों की जानकारी नहीं हो पाती है और वे लापरवाही मे दुर्घटनाग्रस्त हो जाते है;	2.	**अस्वीकारात्मक** झारखण्ड के सभी मुख्य जलप्रपातों (दशम, जोन्हा,हुण्डरू,सीता, पंचघाघ एवं लोध जलप्रपात) एवं प्राकृतिक पर्यटक स्थलों पर झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि०, राँची द्वारा पर्यटकों को सहायता देने व सुरक्षा के दृष्टिकोण से पर्यटक मित्रों को रखा गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि राज्य के वैसे खतरनाक जलप्रपात जहाँ सालों भर अत्यधिक घटनाएं घटती है, जैसे–दशम फॉल, जोन्हा फॉल और हुंडरू फॉल इत्यादि में विभाग द्वारा सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक घेराबंदी अब तक नहीं कराई जा सकी है;	3.	**अस्वीकारात्मक** झारखण्ड राज्य के सभी प्रमुख जलप्रपातों पर दुर्घटना संभावित जगहों पर बाड़ द्वारा घेराबंदी की गई है एवं उक्त जगहों पर सुरक्षा एवं सावधानी संबंधी संदेश एवं चिन्ह भी अंकित किया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में खतरनाक पर्यटन स्थलों की सुरक्षा हेतु घेराबंदी करवाते हुए राज्य के समस्त जिलों के पर्यटन स्थलों में वहां के स्थानीयों को एक निश्चित मानदेय पर पर्यटक–मित्र के रूप मे बहाल करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	4.	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि० सरकार द्वा सभी प्रमुख जलप्रपातों (दशम, जोन्हा,हुण्डरू,सीता, पंचघाघ एवं लोध जलप्रपात) पर नियत मानदेय पर स्थानाय लोगों को पर्यटक मित्र के रूप में रखा गया है पर्यटकों को सहायता सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं। इन स्थलों पर खतरनाक क्षेत्रों की घेराबंदी संबंधी कार्य भी किया गया है पर्यटकों को सहायता देने व सुरक्षा के दृष्टिकोण से पर्यटक मित्रों को रखा गया है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/06/2021 417 /राँची, दिनांक 01-03-2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–50/वि०स०, दिनांक–17/02/2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 1/3/21

सरकार के संयुक्त सचिव

Jharkhand tourism

35

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

डा. सरफराज अहमद, मा.स.वि.स. से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या अ.सू.-11

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, माननीय प्रभारी मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में अल्पसंख्यक विद्यालयों में कार्यरत लगभग 800 शिक्षकों का अभी तक नियुक्ति का अनुमोदन नहीं हुआ है,	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि विभागीय स्तर से नियुक्ति का अनुमोदन नहीं होने के कारण सभी शिक्षक विगत 8.10 वर्षों से बगैर वेतन के अध्यापन कार्य कर रहे हैं, जिससे उनके समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है,	वस्तुस्थिति यह है कि विधिवत रूप से नियुक्त हो कर अध्यापन कार्य करने वाले सभी शिक्षकों का नियुक्ति का अनुमोदन जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा किया गया है। सरकार के नियमों के अनुरूप नियुक्ति नहीं होने के कारण कुछ शिक्षकों का वेतन निर्धारण का अनुमोदन निदेशालय स्तर पर विचाराधीन है, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2010 से ऐसे शिक्षकों के वेतन मद में अनुदान की राशि विमुक्त नहीं की जा रही है। अध्यापन कार्य करने वाले ऐसे शिक्षकों का वेतन भुगतान करने का दायित्व विद्यालय प्रबंधन समिति का भी है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति का अनुमोदन करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वेतन निर्धारण अनुमोदन के कठिनाई को दूर करने के प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् के समक्ष उपस्थापित है। जिस पर निर्णयोपरांत वांछित कार्रवाई की जायेगी।

अक्षिक
24/3/21
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 16/वि.2-08/2021...322.../ राँची, **दिनांक 24/03/2021**

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 91, दिनांक 22.02.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अक्षिक
24/3/21
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

36

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रो. स्टीफन मराण्डी, मा.स.वि.स. से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ.सू.–36

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, माननीय प्रभारी मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के गैर-सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों में विधिवत रूप से नियुक्त 400 शिक्षक बिना वेतन के दस सालों से कार्य करते आ रहे है, जिससे उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है;	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि जेटेट (JTET) उत्तीर्ण की बाध्यता, आरक्षण नियमों के अनुपालन इत्यादि संवेदनशील मामलों पर नीतिगत निर्णय लिए जाने के बावजूद भी इन शिक्षकों के वेतन निर्धारण अनुमोदन जान-बूझकर विभाग द्वारा इतनी अवधि तक लंबित रखा गया है;	वस्तुस्थिति यह है कि विधिवत रूप से नियुक्त हो कर अध्यापन कार्य करने वाले सभी शिक्षकों का नियुक्ति का अनुमोदन जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा किया गया है। सरकार के नियमों के अनुरूप नियुक्ति नहीं होने के कारण कुछ शिक्षकों का वेतन निर्धारण का अनुमोदन निदेशालय स्तर पर विचाराधीन है, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2010 से ऐसे शिक्षकों के वेतन मद में अनुदान की राशि विमुक्त नहीं की जा रही है। अध्यापन कार्य करने वाले ऐसे शिक्षकों का वेतन भुगतान करने का दायित्व विद्यालय प्रबंधन समिति का भी है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है; तो क्या सरकार उक्त दस वर्षों से बिना वेतन भुगतान के कार्यरत शिक्षकों को अविलंब वेतन भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वेतन निर्धारण अनुमोदन के कठिनाई को दूर करने के प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् के समक्ष उपस्थापित है। जिस पर निर्णयोपरांत वांछित कार्रवाई की जायेगी।

अ०/सि०
28/2/21

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 16/वि.2-22/2021....346..../ राँची,   दिनांक ..28../..02../2021

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 369, दिनांक 25.02.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अ०/सि०
28/2/21

सरकार के अवर सचिव

(37)

पंचम झारखण्ड विधान सभा के बजट सत्र में डॉक्टर सरफराज अहमद, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 02/03/2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या -13 का उत्तर प्रतिवेदन :-

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि राज्य में एकमात्र राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय बी0 आई0 टी0 सिंदरी धनबाद में संचालित है;	**स्वीकारात्मक**
02	क्या यह बात सही है कि राज्य में निजी सहयोग से 03 अभियंत्रण महाविद्यालय एवं 08 पॉलीटेकनिक संस्थान पी0पी0पी0 मोड में संचालित है जहाँ छात्रों को शुल्क के रूप में काफी राशि वहन करना पड़ता है तथा छात्रावास शुल्क बाजार दर से अधिक लिया जाता है।	**अस्वीकारात्मक** संस्थानों के शिक्षण शुल्क का निर्धारण राज्य सरकार के **शुल्क निर्धारण समिति** द्वारा किया जाता है एवं निर्धारित शुल्क के अनुसार राशि ली जाती है।
03	क्या यह बात सही है ये संस्थान न तो AICTE के मानकों को पूरा करते हैं न ही हस्ताक्षरित MOU का पालन करते हैं;	**स्वीकारात्मक** इस संबंध में AICTE को निदेशालीय पत्र संख्या 486 दिनांक 30/07/2020 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है।
04	यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तकनीकी शिक्षा के विस्तार के लिए सरकारी क्षेत्र में अभियंत्रण महाविद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	चार नए अभियंत्रण महाविद्यालय यथा राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय (गोला) रामगढ़, पलामू, कोडरमा एवं प्रोफेशनल कॉलेज जमशेदपुर का निर्माण पूर्ण होने पर है जिसमें शैक्षणिक कार्य प्रारंभ करने की कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
तृतीय तल, योजना भवन, नेपाल हाउस परिसर, डोरन्डा, राँची।

ज्ञापांक- HTESDsec1/v.sprashn -assemblyquestion-01/2021/HTESD / 279 राँची, दिनांक 01/02/2021

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके **ज्ञाप संख्या प्र0 93** दिनांक **22/02/2021** के आलोक में **200** प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राँची

(89)

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, स0 वि0 स0द्वारा दिनांक 02.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–03

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क0स0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि दिनांक–29.12.2016 को ललमटिया खादान में भीषण दुर्घटना में 80 लोगों की मौत हुई थी;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है वस्तुस्थिति यह है कि राजमहल कोयला परियोजना ECL से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त दुर्घटना में मेसर्स एम0आई0पी0एल0–एन0के0ए0एस (जे0वी) संवेदक के 23 ठेका मजदूरों की मृत्यु अधिभार खिसकने से उसके अंदर दबकर हुई है।
2-	क्या यह बात सही है कि वर्णित दुर्घटना में मात्र 23 कर्मियों के भाव बरामद किये जा सके, तथा अन्य का पता आज तक नहीं चल पाया है;	अधिभार में दबे हुए कुल 23 ठेका मजदूर की मृत्यु हुई थी, जिसमें 18 ठेका मजदूरों के मृत शरीर की बरामदगी हुई थी एवं दो वर्षों के उपरांत 03 संख्या में अवशेष की प्राप्ति हुई थी, जिसे जिला प्रशासन द्वारा फोरेंसिक जाँच के लिए भेजा गया है एवं 02 की लाश अभी तक अप्राप्त है।
3-	क्या यह बात सही है कि प्रभावित लोगों के परिजनों को मुवावजा का भुगतान तथा आश्रितों की नौकरी वर्तमान समय तक नहीं मिल पाया है;	प्राप्त सूचना के अनुसार मृतक को (क) ECL प्रबंधन की ओर से Ex-Gratia रू0 5.00 लाख का भूगतान। (ख) MIPL के प्रबंधन की ओर से Ex-Gratia रू0 5.00 लाख (ग) Workmen Compensation के तहत विभिन्न दरों से कुल रू0 1.92 करोड़ का भुगतान, के अतिरिक्त (घ) EPF भुगतान का निपटारा किया गया। आश्रितों को रोजगार मुहैया कराने हेतु सर्वश्री ECL प्रबंधन से अनुरोध किया जा रहा है।
4-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रभावित लोगों के हित में परिजनों को मुवावजा एवं आश्रितों को नौकरी देने का विचार रखती है, तथा वर्णित दुर्घटना के लिए ई0सी0एल0 प्रबंधक को जिम्मेवार मानते हुए कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	यथो उपरोक्त। माननीय उच्च न्यायालय, राँची के निदेशानुसार संबंधित मंत्रालय द्वारा "Court of Inquiry" का गठन किया गया है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक–वि०स०(अ0सू0)–05/2021 566 /एम0, राँची, दिनांक– 01.03.2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र०–47 दिनांक–17.02.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.03.2021
सरकार के उप सचिव

40

श्री विनोद कुमार सिंह, स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 02.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–24

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

<table>
<tr><th>क0सं0</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1-</td><td>क्या यह बात सही है, किएम0एम0डी0आर0 एक्ट की धारा 21 (5) के तहत राज्य सरकार का CCL, BCCL, ECL, SAIL एवं DVC पर 33 हजार करोड़ रूपये की राशि बकाया है;</td><td>आंशिक स्वीकारात्मक है। बकाया निम्न शीर्ष में है:–
<table>
<tr><th>Sl. NO.</th><th>Company Name</th><th>Dues Demand</th><th>Amount in Rs.</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Coal India & Subcidary Company</td><td>Comman Cause</td><td>33,000 करोड़</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Wash Coal</td><td>1676 करोड़</td></tr>
<tr><td>2</td><td>SAIL</td><td>Comman Cause</td><td>333 करोड़</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Extension of Lease</td><td>2960 करोड़</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2-</td><td>यदि उक्त खण्डका उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त बकाया राशि वसुलने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?</td><td>कोल इंडिया एवं अनुषांगिक कम्पनियों तथा अन्य सार्वजनिक कम्पनियों पर विभिन्न न्यायालयों में मामला विचाराधीन है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(अ0सू0)–09 / 2021 564 /एम0, राँची, दिनांक– 01.03.2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र०–108 दिनांक–22.02.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/3/2021

सरकार के उप सचिव

(41)

श्री समीर कुमार मोहन्ती, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2021 को पूछे जानेवाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–23 की उत्तर सामग्रीः–

प्रश्न	उत्तर
1– क्या यह बात सही है कि शाल के पत्ते मोटे हो जाने से वे अपने से गिर जाते है तथा शीत व गर्मी के मौसम में जंगल में आगजनी होने तथा आग फैलने का खतरा बना रहता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। साल का वृक्ष deciduous tree प्रजाति (जिसका पतझड़ होता है) के श्रेणी में है। पत्ता पुराना होने के उपरांत सूख कर गिरता है। समय के साथ वृक्ष पर नये पत्ते आते हैं। आग लगने पर ग्रामीणों की सहायता से तथा वनकर्मियों के द्वारा आग को बुझा दिया जाता है।
2– क्या यह बात सही है कि झारखण्ड प्रदेश में बहुतायत में अनुसूचित जन जाति, वनवासी, शबर जाति के लोग शाल के पत्ते इकठ्ठा कर तथा बेच कर अपना परिवार का भरण पोषण करते थे ;	वर्तमान में भी जंगल में तथा उसके आस–पास रहने वाले ग्रामीण लोग (अनुसूचित जनजाति, वनवासी, शबर जाति) साल के पत्तों को इकट्ठा कर प्लेट इत्यादि कई सामग्री बनाते हैं तथा बाजार में बेच कर आय सृजित करते हैं।
3– क्या यह बात सही है कि शाल की पत्तियों की खरीद हेतु बाजार के प्रतिनिधि वनवासियों के घर तक आते थे तथा पत्तियों के परिवहन हेतु सरकार द्वारा अनुज्ञा पत्र निर्गत किया जाता था ;	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड काष्ठ तथा अन्य वन उत्पादन (अभिवहन का विनियमन) नियमावली, 2004 के अनुसार साल पत्तियों के परिवहन अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में भी झारखण्ड वनोपज (अभिवहन का विनियमन) नियमावली, 2020 के 4(ग) में यह प्रावधानित है कि लघु वन उपज को वन से स्थानीय बाजार को यह संग्रहण केन्द्र या घरेलु उपयोग के लिये परिवहन अनुज्ञा–पत्र की आवश्यकता नहीं होगा।
4– क्या यह बात सही है कि वर्तमान में अनुज्ञा पत्र निर्गत न होने के कारण क्षेत्र के जरूरतमन्द लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है ;	झारखण्ड वनोपज (अभिवहन का विनियमन) नियमावली, 2020 के 4(ग) में यह प्रावधानित है कि लघु वन उपज को वन से स्थानीय बाजार को यह संग्रहण केन्द्र या घरेलु उपयोग के लिये परिवहन अनुज्ञा–पत्र की आवश्यकता नहीं होगा। लघु वन उपज को परिवहन अनुज्ञा–पत्र की आवश्यकता से इसलिये मुक्त रखा गया है, ताकि स्थानीय ग्रामीण लघु वन उपजों का निजी उपयोग के साथ–साथ स्थानीय बाजार तथा संग्रहण केन्द्र को आसानी से ले जा सकेंगे।
5– यदि उक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार शाल पत्तों के परिवहन हेतु पुनः अनुज्ञा पत्र निर्गत करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05/विधानसभा अल्प–सूचित प्रश्न–11/2021– 724 ब0प0, राँची, दिनांक– 28.02.2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–106 दिनांक–22.02.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28-2-21

(संतोष कुमार चौबे)
सरकार के अवर सचिव

(42)

श्री भानु प्रताप शाही, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.03.20201 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–08 का प्रश्नोत्तर :–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
	श्री भानु प्रताप शाही, माननीय स०वि०स०	माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि गाँव का देवी, देवता का स्थल का जमीन गाँव के सर्वे में उपलब्ध है ;	आंशिक स्वीकारात्मक । राजस्व ग्राम के हाल सर्वे खतियान में जमीन की प्रकृति के रूप में अनावाद सर्वसाधारण के नाम से खाता दर्ज किया जाता है तथा जमीन का किस्म में देव स्थान, जाहेर स्थान, मंदिर, अखरा आदि दर्ज रहता है ।
2	क्या यह बात सही है कि देव स्थल की घेराबंदी नहीं होने से देव स्थल की जमीन का अतिक्रमण होते जा रहा है, जिससे धार्मिक और सामाजिक संस्कृति खतरे में है ;	इस प्रकार का मामला राजस्व विभाग के संज्ञान में नहीं आया है ।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार भवनाथपुर विधान सभा सहित पूरे प्रदेश में देवस्थलों के जमीन को चिन्हित करते हुए घेराबंदी कराने का विचार रखती है हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	देव स्थलों की घेराबंदी संबंधी राजस्व विभाग के अन्तर्गत कोई योजना नहीं है ।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांक–02 / भू0अ0प0नि0 वि०स० (अल्प–सूचित)–06 / 2021 137 / नि०रा०, राँची, दिनांक– 01-03-2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञाप संख्या–135 / वि०स०, दिनांक–22.02.2021 के प्रसंग में उत्तर की 200 प्रति (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / मा० विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची / विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/2021

सरकार के अवर सचिव।

(45)

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री सुदिव्य कुमार, मा.स.वि.स. से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या अ.सू.-14

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, माननीय प्रभारी मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में वर्ग 1-5 में 12234 शिक्षक एवं 6-8 में 528 शिक्षकों का पद रिक्त है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि 19 जून, 2016 में हुए जेटेट परीक्षा के पश्चात सफल अभ्यर्थियों की अभी तक सरकार द्वारा नियुक्ति नहीं की गई है;	वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2015-16 में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में अधिसंख्यक वाद लंबित रहने के कारण उक्त नियुक्ति की प्रक्रिया जून 2019 में पूर्ण हुई है। रिक्त पदों को भरने एवं विधिसम्मत कार्रवाई करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। वर्त्तमान में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डब्लू.पी.(एस.) 1387/2017 सोनी कुमारी-बनाम-राज्य सरकार एवं अन्य में पारित आदेश से उत्पन्न परिस्थिति में नियुक्ति की प्रक्रिया स्थगित है। नियुक्ति नियमावली में संशोधन प्रक्रियारत है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रिक्त पदों को जेटेट पास अभ्यर्थियों से भरने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कंडिका-2 में अंकित स्थिति के अनुरूप नियुक्ति की कार्यवाही की जा सकेगी।

(हस्ताक्षर) 28/2/2021

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 16/वि.2-06/2021....345..../ राँची, दिनांक 28/02/2021

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 94, दिनांक 22.02.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 28/2/2021

सरकार के अवर सचिव

(44)

464
01/03/2021

सुश्री अम्बा प्रसाद, स०वि०स० से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–35

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार द्वारा वित्त रहित शिक्षा नीति 2004 के आलोक में **स्थापना अनुमति** प्राप्त **प्राथमिक/मध्य/उच्च तथा इण्टर महाविद्यालयों** को जो ट्रस्ट/सोसाइटी द्वारा संचालित थे, उन्हें वार्षिक अनुदान दी जाती रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004 के प्रावधानों के तहत् मात्र **उच्च विद्यालय एवं इंटर महाविद्यालयों** के सुदृढ़ीकरण एवं विकास हेतु आर्थिक सहायता के रूप में विभाग द्वारा अनुदान दिया जाता है।
2	क्या यह बात सही है कि पदाधिकारियों की तानाशाही रवैये के कारण कभी ट्रस्ट कभी स्थापना अनुमति को आधार बनाकर अनुदान से वंचित कर दिया जा रहा है, जिससे स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को घोर कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है,	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड माध्यमिक विद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त एवं बंधेज) नियमावली, 2008 के नियम–4(II) एवं झारखण्ड इंटरमीडिएट महाविद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त एवं बंधेज) नियमावली, 2005 के नियम–4(i) में निहित प्रावधान के अनुसार क्रमशः माध्यमिक विद्यालय एवं इंटरमीडिएट महाविद्यालय को स्थापना अनुमति प्राप्त करने हेतु शैक्षणिक संस्थान के संचालन हेतु प्रस्तावित करने वाली संस्था को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (अधिनियम 21, 1860) के तहत् निबंधित होना अनिवार्य है। साथ ही झारखण्ड माध्यमिक विद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त एवं बंधेज) नियमावली, 2008 के नियम–7 में यह उल्लेखित है कि बिहार सरकार/झारखण्ड सरकार द्वारा दी गयी स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालयों को भी इस नियमावली के अंतर्गत प्रस्वीकृति प्राप्त करना होगा। उपरोक्त के आधार पर ही वित्तीय वर्ष 2017–18 से वैसे संस्थान, जिनका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (अधिनियम 21, 1860) के तहत संस्था निबंधित नहीं है, को निबंधन विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया है।
3	क्या यह बात सही है कि प्रस्वीकृति को आधार बनाकर वर्ष 2019–20 के अनुदान प्रपत्र भरने से शिक्षण संस्थाओं को वंचित रखा गया है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 के अनुदान हेतु सभी प्रस्वीकृत माध्यमिक विद्यालय एवं स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालयों को अनुदान प्रपत्र भरने की अनुमति दी गई थी एवं कुल प्राप्त आवदेन पर सम्यक् निर्णयोपरांत विभागीय अनुदान समिति द्वारा अनुदान स्वीकृत किया गया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार द्वारा प्रस्वीकृत के आधार पर वंचित किए गए शिक्षण संस्थाओं को अनुदान प्रपत्र भरने तथा वर्ष 2004 के	वस्तुस्थिति यह है कि विभाग द्वारा प्रस्वीकृति को आधार बनाकर किसी शिक्षण संस्थान को अनुदान प्रपत्र भरने से वंचित नहीं किया गया है। अनुदान अधिनियम एवं प्रस्वीकृति संबंधी

	आधार पर स्थापना अनुमति प्राप्त ट्रस्ट/सोसाईटी द्वारा संचालित विद्यालयों को पूर्व की तरह अनुदान भुगतान कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं हो क्यों ?	नियमावलियों में निहित प्रावधान के आलोक में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (अधिनियम 21, 1860) के तहत् निबंधन नहीं कराये गये संस्थानों को अनुदान देय नहीं है।

01/03/2021

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–31/2021 464 राँची, दिनांक 01/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/2021

सरकार के उप सचिव।

(45)

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री कुमार जयमंगल, मा.स.वि.स. से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या अ.सू.-45

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	**श्री निथिलेश कुमार ठाकुर, माननीय प्रभारी मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के पारा शिक्षकों को सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था कि उनका नियमितिकरण किया जाएगा,	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि अभी तक इसपर कोई निर्णय नहीं लिया गया है तथ इनके वेतनमान का निर्धारण समान कार्य समान वेतनमान के आधार पर नहीं किया गया है	वस्तुस्थिति यह है कि पारा शिक्षकों का चयन सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत के विद्यालयों में परियोजना द्वारा सृजित पदों पर किया गया है। पारा शिक्षकों के सेवा शर्त के सुधार के कम में इनको देय मानदेय में वर्ष 2004, 2006, 2009, 2011, 2012, 2014, 2016, 2017 एवं 2019 में लगातार वृद्धि की गई है, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2002 में निर्धारित रू. 1000/- (एक हजार रूपये) का मानदेय वर्तमान में निम्नवत है-

क.	प्राथमिक कक्षा (1 से 5)	मानदेय
i.	प्रशिक्षित एव टेट उत्तीर्ण	रू. 14000/-
ii.	प्रशिक्षित	रू. 12000/-
iii.	अप्रशिक्षित	रू. 10500/-
ख.	**उच्च प्राथमिक कक्षा (6 से 8)**	**मानदेय**
i.	प्रशिक्षित एवं टेट उत्तीर्ण	रू. 15000/-
ii.	प्रशिक्षित	रू. 13000/-
iii.	अप्रशिक्षित	रू. 11500/-

पारा शिक्षकों के रूप में नियोजन के शर्तों के उन्नयन हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति के प्रतिवेदन पर महाधिवक्ता का परामर्श प्राप्त है, जिसपर उच्च स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लिया जाना है।

पारा शिक्षकों के द्वारा समान कार्य समान वेतनमान के तहत सरकारी शिक्षकों की तरह वेतननान की मांग माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड द्वारा WP (S) 3679/2015 बासुदेव प्रसाद यादव बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश में

अनुमोदित
23/2/21

		अस्वीकृत कर दिया गया। उत्तर प्रदेश राज्य के सदृश्य मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में दायर Civil Appeal No. 9529/2017 में वहां के शिक्षा मित्रों की मांग को निरस्त कर दिया गया है। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए पारा शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों की तरह समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ नहीं दिया जा सकता है ।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पारा शिक्षकों का नियमितिकरण तथा वेतनमान निर्धारित करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर खण्ड-2 में स्पष्ट कर दी गई है।

अ॰ कु॰ सिंह
28/2/21
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 16/वि.2–21/2021 338 / राँची, दिनांक 28/02/2021

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 384, दिनांक 25.02.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अ॰ कु॰ सिंह
28/2/21
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

258
01/03/2021

श्री सरयू राय, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–02.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–10 की उत्तर सामग्री:–

<table>
<tr><td>क्र०</td><td>प्रश्नकर्त्ता
श्री सरयू राय
माननीय सदस्य विधानसभा</td><td>उत्तरदाता
श्री सत्यानन्द भोक्ता
माननीय मंत्री,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या यह बात सही है कि तामझाम के साथ खर्चीला कार्यक्रम आयोजित कर सरकार ने 12.01.2018 को 26,000 और 10.01.2019 को 100,000 युवाओं को रोजगार देने की घोषणा किया था और नियुक्ति पत्र बाँटा था और 12.01.2018 को इस उपलब्धि को लिम्काबुक ऑफ रिकार्ड में दर्ज किया गया है;</td><td>आंशिक स्वीकारात्मक।
वर्ष 2018 में विभिन्न विभागों यथा; उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, उद्योग विभाग, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के द्वारा प्रशिक्षित एवं प्रशिक्षण समाप्ति के पूर्व 26,674 लोगों को नौकरी हेतु प्रस्ताव पत्र (ऑफर लेटर) दिया गया था। वर्ष 2019 में विभिन्न विभागों यथा; झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी, उच्च शिक्षा निदेशालय, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, ग्रामीण विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, उद्योग विभाग एवं कल्याण विभाग के द्वारा प्रशिक्षित एवं प्रशिक्षण समाप्ति के पूर्व 1,06,619 लोगों को ऑफर लेटर दिया गया था।
स्किल समिट 2018 में एक दिन में सर्वाधिक संख्या में जॉब प्लेसमेंट के लिए "लिम्का बुक ऑफ रिकार्डस–इंडियन रिकार्ड" में दर्ज किया गया है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्या यह बात सही है कि लोकसभा में एक सवाल के जवाब में केन्द्र सरकार ने स्वीकार किया है कि झारखण्ड में अबतक मात्र 6 हजार लोगों को ही स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत रोजगार दिया गया है। यानी उपरोक्त कंडिका – 1 में वर्णित घोषणायें फर्जी है ;</td><td>नैशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से प्राप्त सूचना के अनुसार सिर्फ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2016–2020 के केन्द्रीय घटक अंतर्गत दिनांक–19.01.2021 तक 22,860 व्यक्तियों का प्लेसमेंट प्रतिवेदित है। इसके अतिरिक्त कौशल विकास मिशन अंतर्गत राज्य संपोषित योजनाओं में भी नियोजन/रोजगार दिया गया है। अन्य विभागों यथा; उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, उद्योग विभाग, कल्याण विभाग, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा भी नियोजन/रोजगार दिया गया है।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>क्या यह बात सही है कि जिन युवकों को सरकार ने रोजगार दिया, उनकी संख्या, पता, उनके नियोक्ताओं और जिन संस्थाओं के माध्यम से रोजगार देने हेतु चयन हुआ, इसकी जानकारी सरकार के पास नहीं है;</td><td>आंशिक स्वीकारात्मक।
झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी के द्वारा स्किल समिट 2018 में युवाओं को प्रदान किये गये प्रस्ताव पत्र (ऑफर लेटर) की विभागवार विवरणी निम्नवत है :–<table><tr><td>विभाग</td><td>ऑफर लेटर की संख्या</td><td>अभ्युक्ति</td></tr><tr><td>उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास</td><td>15869</td><td>झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी अन्तर्गत दिये गये ऑफर लेटर की</td></tr></table></td></tr>
</table>

विभाग		संख्या, उनके नियोक्ताओं एवं उनके प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं का विवरण उपलब्ध है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा अंतर्गत दिये गये ऑफर लेटर की संख्या एवं उनके नियोक्ताओं का विवरण उपलब्ध है।
ग्रामीण विकास विभाग	2713	ऑफर लेटर की संख्या, उनके नियोक्ताओं एवं आंशिक रूप से उनके प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं का विवरण उपलब्ध है।
नगर विकास एवं आवास विभाग	3317	ऑफर लेटर की संख्या, उनके नियोक्ताओं एवं आंशिक रूप से उनके प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं का विवरण उपलब्ध है।
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	4418	ऑफर लेटर की संख्या, आंशिक रूप से पता एवं नियोक्ताओं का विवरण उपलब्ध है।
खान, भू–तत्व एवं उद्योग विभाग	198	ऑफर लेटर की संख्या एवं उनके नियोक्ताओं का विवरण उपलब्ध है।
कला, संस्कृति खेल–कूद एवं युवा कार्य मामले विभाग	159	ऑफर लेटर की संख्या एवं उनके नियोक्ताओं का विवरण उपलब्ध है।

झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी के द्वारा ग्लोबल स्किल समिट 2019 में युवाओं को प्रदान किये गये प्रस्ताव पत्र (ऑफर लेटर) की विभागवार विवरणी निम्नवत् है :–

विभाग	ऑफर लेटर की संख्या	अभ्युक्ति
झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी	44693 (प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना–केन्द्रीय घटक सहित)	झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी अन्तर्गत दिये गये ऑफर लेटर की संख्या, उनके नियोक्ताओं एवं उनके प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं का विवरण उपलब्ध है।
उच्च शिक्षा निदेशालय	12101	ऑफर लेटर की संख्या, उनके नियोक्ताओं एवं उनके प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं का विवरण उपलब्ध है।

		तकनीकी शिक्षा निदेशालय	5963	ऑफर लेटर की संख्या, उनके नियोक्ताओं एवं उनके प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं का विवरण उपलब्ध है।
		ग्रामीण विकास विभाग	12451	ऑफर लेटर की संख्या, उनके नियोक्ताओं एवं उनके प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं का विवरण उपलब्ध है।
		नगर विकास एवं आवास विभाग	14892	ऑफर लेटर की संख्या, उनके नियोक्ताओं एवं उनके प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं का विवरण उपलब्ध है।
		श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	10965	ऑफर लेटर की संख्या एवं नियोक्ताओं का विवरण उपलब्ध है।
		उद्योग विभाग	998	ऑफर लेटर की संख्या, उनके नियोक्ताओं एवं उनके प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं का विवरण उपलब्ध है।
		कल्याण विभाग	4556	ऑफर लेटर की संख्या, उनके नियोक्ताओं एवं उनके प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं का विवरण उपलब्ध है।
4.	यदि उपर्युक्त कंडिकाओं के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार स्किल डेवलमेंट मिशन के तहत रोजगार देने की फर्जी घोषणा की जाँच कराने तथा जिन संस्थाओं एवं अधिकारियों की मिलीभगत से यह फर्जीवाड़ा हुआ है, उनपर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	स्किल समिट 2018 तथा ग्लोबल स्किल समिट 2019 में जिन व्यक्तियों को ऑफर लेटर दिया गया था उनके नियोजन के जाँच हेतु श्रमायुक्त, झारखण्ड की अध्यक्षता में चार सदस्यीय जाँच समिति गठित की गई है।		

11/3/21

(अनिल कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग।

ज्ञापांक–1/श्र0नि0प्र0(वि0स0)–03–02/2021श्र0नि0-258 राँची, दिनांक– 01/03/2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं0–136, दिनांक–22.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1/3/21

सरकार के उप सचिव

(48)

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक 02.03.2021 को पृच्छित अल्प सूचित प्रश्न संख्या–01 का उत्तर:–

प्रश्नकर्ता	उत्तर दाता
श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, सदस्य विधान सभा	*श्री हफीजूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि राँची जिला के खेलारी प्रखण्ड अंतर्गत मैक्लुस्कीगंज स्थित ऐतिहासिक खेल मैदान को कब्जा करने की साजिश की जा रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक। प्रश्नगत भूमि सर्वे खतियान में खाता–62, प्लॉट संख्या–1062 एवं 1053 जो कि तेतरा मुण्डा के नाम पर दर्ज है तथा यह लम्बे समय तक खेल मैदान के रूप में उपयोग होता रहा है। विगत कुछ वर्षों से भूमि पर दावेदारी की जा रही है।
2	क्या यह बात सही है, कि आजादी के पूर्व से मैक्लुस्कीगंज क्षेत्र के सभी विद्यालयों तथा उस क्षेत्र के सभी खेल संबंधित कार्यक्रम इसी मैदान में होता रहा है एवं खिलाड़ियों को सामान रखने के लिए सामुदायिक भवन काफी पूर्व से यही बना हुआ है;	स्वीकारात्क।
3	क्या यह बात सही है कि आजादी के पूर्व से ही इस मैदान में खेल तथा अन्य सामाजिक कार्यक्रम होते रहे हैं एवं इस मैदान पर आज तक किसी के द्वारा दावेदारी नहीं किया गया था, साथ ही माध्य विद्यालय, लपरा इसी मैदान के पश्चिम में स्थित है;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त ऐतिहासिक खेल मैदान की भूमि को सरकारी व्यवस्था से भू–अधिग्रहण कर उक्त मैदान को बचाना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सभी प्रखण्डों के पंचायतों में उपलब्ध एवं उपयोगी खेल मैदानों के उन्नयन हेतु पंचायत स्तरीय खेल मैदान उन्नयन योजना संचालित है तथा इस निमित उपायुक्त, राँची को भी राशि उपलब्ध करायी गई है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–07/2021 H06 / राँची, दिनांक 26.02.2021

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–45/वि०स०, दिनांक–17.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1/3/21

सरकार के संयुक्त सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

(49)

463
01/03/2021

श्री मथुरा प्रसाद महतो, सo विo सo से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–34
क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वित्तरहित शिक्षण संस्थानों के इंटर शिक्षक सेवा शर्त्त नियमावली पिछले तीन वर्षो से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में सम्माहित है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि वित्तरहित शिक्षण संस्थानों के इंटर शिक्षक सेवा शर्त्त एवं नियमावली में लिए गये निर्णय पर विभाग द्वारा पहल नहीं किया गया है,	वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक–1419 दिनांक– 10.05.2018 के द्वारा झारखंड स्थायी प्रस्वीकृत इंटरमीडिएट महाविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवाशर्त नियमावली से संबंधित प्रस्ताव की मांग अध्यक्ष, झारखंड अधिविद्य परिषद्, रांची से की गई, जिसे उनके पत्रांक–0111/18 दिनांक–16.08.2018 के द्वारा उपलब्ध कराया गया। प्राप्त प्रस्ताव पर विचार के क्रम में निदेशालयीय पत्रांक–1577 दिनांक–06.06.2019 के द्वारा परिषद् से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्ध माध्यमिक विद्यालय (+2 महाविद्यालय) के कर्मियों की सेवाशर्त, सी०बी०एस०ई० एवं झारखंड +2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवाशर्त नियमावली, 2012 के क्रम में परिषद् का मंतव्य प्राप्त किया गया। परिषद् ने अपने पत्रांक–412/19 दिनांक–03.09.2019 द्वारा झारखंड स्थायी प्रस्वीकृत इंटरमीडिएट महाविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवाशर्त नियमावली, 2018 का प्रारूप तैयार कर उपलब्ध कराया। पुनः निदेशालयीय पत्रांक–2489 दिनांक–26.09.2019 द्वारा परिषद् से अन्य बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करने का निदेश दिया गया, जिसके आलोक में परिषद् के पत्रांक–158/20 दिनांक–17.01.2020 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन पर झारखंड राज्य में संचालित सभी स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालयों के अध्यक्ष/सचिव से झारखंड स्थायी प्रस्वीकृत इंटरमीडिएट महाविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवाशर्त नियमावली, 2020 का प्रारूप पर सुझाव/आपत्ति की मांग की गई। प्राप्त सुझाव/आपत्ति पर विचार कर अंतिम निर्णय समर्पित करने हेतु निदेशक, माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति आदेश ज्ञापांक–855 दिनांक–29.05.2020 के द्वारा गठित की गयी है। उक्त समिति की बैठक आहूत करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। बैठक के फलाफल के आधार पर झारखंड स्थायी प्रस्वीकृत इंटरमीडिएट महाविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवाशर्त नियमावली, 2021 का प्रकाशन किया जा सकेगा।

3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार सेवा शर्त एवं नियमावली लागू करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं हो क्यों ?	वस्तुस्थिति कंडिका–02 में स्पष्ट की गयी है।

01/03/2021

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–28/2021 463 राँची, दिनांक 01/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/2021

सरकार के उप सचिव।

(50)

श्री मथुरा प्रसाद, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2021 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–33

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान में झारखण्ड राज्य माटी कला बोर्ड का गठन नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक नहीं है। विभागीय अधिसूचना संख्या–2787, दिनांक–30.12.2016 के द्वारा झारखण्ड राज्य में कुम्हारों एवं माटी शिल्पियों के सर्वांगिण विकास एवं आर्थिक उन्नति हेतु झारखण्ड माटी कला बोर्ड का गठन किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि माटी कला बोर्ड का गठन नहीं होने से प्रजापति समाज का विकास कार्य बाधित हो रहा है;	स्वीकारात्मक नहीं है। बोर्ड के गठन के पश्चात् कुम्हारों एवं माटी शिल्पियों के लिए तकनीकी कार्यशाला, आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण तथा अनुदानित दर पर विद्युत चाक पगमील मशीन उपलब्ध कराया जा रहा है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार माटी कला बोर्ड गठन करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01 / विधानसभा–03–03 / 2021 212 राँची, दिनांक– 28/02/2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–366 दिनांक–25.02.2021 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.02.2021
सरकार के अवर सचिव

51

458
01/03/2021

श्री अनन्त कुमार ओझा, स0वि0स0 से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–31
क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार अपने विभिन्न मदों से पंचायतवार पुस्तकालय निर्माण/स्थापित करने की दिशा में योजना बना रही है, ताकि स्थानीय छात्र–छात्राओं को सम्पूर्ण विकास हो सके ;	स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि राज्यान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर पर पुस्तकालय की सुविधा चरणबद्ध तरीके से आगामी 03 वर्षों में उपलब्ध कराने हेतु 2.23 करोड़ मात्र के आवर्ती व्यय की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में विभागीय संकल्प संख्या–1039 दिनांक 27.06.2017 निर्गत है। पुस्तकालयों के चयन की प्रक्रिया हेतु उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तर पर समिति गठित है तथा पुस्तकालयों के चयन एवं संचालन तथा व्यय के संबंध में विस्तृत दिशानिदेश उक्त संकल्प में सन्निहित है।
2	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के प्रखण्ड क्रमशः उधवा, राजमहल एवं साहेबगंज सदर में पुस्तकालय निर्माण हेतु जिला को दिशानिदेश विभागीय स्तर पर दिये जा चुके है;	स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि उक्त संकल्प के आलोक में सभी उपायुक्त को प्रथम चरण में अपने जिले के प्रखण्ड के न्यूनतम किसी एक पंचायत के सरकारी +2 विद्यालय/माध्यमिक विद्यालय में पंचायत स्तरीय पुस्तकालय संचालित करने की कार्रवाई करने का निर्देश विभागीय पत्रांक–1960 दिनांक 24.10.2017 द्वारा निर्गत है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य के सभी पंचायतों में पुस्तकालय निर्माण/स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं हो क्यों ?	कंडिका–01 एवं 02 में स्थिति स्पष्ट की गयी है। मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 20.06.2017 में मद संख्या 7 में इस संबंध में प्रस्ताव की स्वीकृति दी गयी है, जिसे विभागीय संकल्प संख्या 1039 दिनांक 27.06.2017 द्वारा प्रेषित किया गया है।

01/03/2021
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–29/2021 458 रांची, दिनांक 01/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/2021
सरकार के उप सचिव।

52

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री सुदिव्य कुमार, स.वि.स. से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ.सू.–17

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, माननीय प्रभारी मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के 3181 पद स्वीकृत हैं, जिनके विरूद्ध मात्र 173 नियमित प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि अहर्ता रखने वाले शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति नहीं होने के कारण उनमें असंतोष की भावना पनप रही है तथा मनोबल पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;	वस्तुस्थिति यह है कि माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न न्यायादेशों के उपरांत आपसी वरीयता निर्धारित करने हेतु संकल्प संख्या 3027 दिनांक 14.12.2015 एवं संकल्प संख्या–1145 दिनांक 18.07.2019 के आलोक में ग्रेड–3 एवं 4 एवं उच्चतर ग्रेडों में वांछित अहर्ताधारी अभ्यर्थी/शिक्षक नहीं होने के कारण अधिकांश पदों पर प्रोन्नति नहीं दी जा सकी है। वर्तमान में राजकीयकृत शिक्षक प्रोन्नति नियमावली, 1993 के प्रावधान के क्रम में कालावधि पूर्ण होने पर ही प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति जिला स्थापना समिति से देने का प्रावधान है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक– 6752, दिनांक 24.12.2020 के द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रोन्नति पर रोक है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मध्य विद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण सुदृढ़ करने के लिए प्रधानाध्यापकों के स्वीकृत पद को प्रोन्नति से भरना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

अह/सि
88/3/9/
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 16/वि.2–07/2021..333....../ राँची, दिनांक 28../.03./2021

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 96, दिनांक 22.02.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अह/सि
88/3/9/
सरकार के अवर सचिव

Khursid

(53)

456
01/03/2021

श्री बिरंची नारायण, स०वि०स० से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–02

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान में झारखण्ड में पहली से आठवीं क्लास के स्कूलों में 22,728 शिक्षकों के पद रिक्त हैं और हाई स्कूल एवं प्लस–2 स्कूलों में 16,680 शिक्षकों के पद रिक्त है अर्थात् कुल 39,408 पद रिक्त हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को अत्याधुनिक शिक्षा व्यवस्था और समान शिक्षा व्यवस्था से वंचित रहना पड़ रहा है और कुछ सक्षम अभिभावक मजबूरी में प्राईवेट स्कूलों की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन शेष गरीब अभिभावकों के बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं ;	आंशिक स्वीकारात्मक।

वर्त्तमान में राज्य के सरकारी प्रारम्भिक विद्यालयों में नियमित (प्रोन्नति हेतु स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक पद सहित) शिक्षकों की संख्या निम्नांकित है :–

नियमित शिक्षक	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
इंटर प्रशिक्षित शिक्षक, नियमित	50022	32523	17499
स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक, नियमित	11700	5770	5930
उर्दू प्रशिक्षित शिक्षक, नियमित	1768	850	915
कुल नियमित शिक्षक	**63490**	**39143**	**24344**

इसके अतिरिक्त प्रारम्भिक विद्यालयों में कुल 61148 पारा शिक्षक भी कार्यरत हैं।

वर्त्तमान में झारखण्ड राज्य के सभी कोटि के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की संख्या निम्नांकित है :–

स्नातक/+2 शिक्षक	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक	25169	11553	13616
स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक	5610	2546	3064
कुल पद	**30779**	**14099**	**16680**

वैश्विक महामारी कोविड–19 के फलस्वरूप अभिभावकों एवं बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर सरकारी विद्यालयों में पठन–पाठन मार्च, 2020 में स्थगित किया गया था, जिससे विगत 01 वर्ष में पठन–पाठन प्रभावित हुआ है। वर्त्तमान में क्रमिक रूप से विद्यालय खोले गये हैं।

2	क्या यह बात सही है कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत् 30 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक रखने के नियम के अनुसार इन स्कूलों में 1,36,045 शिक्षकों की आवश्यकता है, लेकिन हाई स्कूलों में शिक्षकों के 25,169 पदों में से मात्र 11,553 पदों पर ही शिक्षक नियुक्त हैं और 13,616 पद अभी खाली हैं, इसी प्रकार प्लस–2 स्कूली में भी 5610 स्वीकृत पदों में से मात्र 2546 पदों पर ही शिक्षक कार्यरत हैं और 3064 पद अभी भी खाली है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्त्तमान में वर्ग–01 से 08 तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है। इसके अनुसार वर्ग–01 से 08 हेतु शिक्षकों (नियमित एवं पारा शिक्षक) की उपलब्धता एवं रिक्ति निम्नांकित है :– <table><tr><th>वर्ग</th><th>नामांकित छात्रों की संख्या</th><th>कार्यरत शिक्षक की संख्या</th><th>RTE के अनुसार आवश्यक शिक्षक संख्या</th><th>RTE के आधार पर रिक्त पद</th></tr><tr><td>01–05</td><td>2430601</td><td>38701</td><td>62534</td><td>18695</td></tr><tr><td>06–08</td><td>1305612</td><td>8247</td><td>34878</td><td>15158</td></tr><tr><td>योग</td><td>3736213</td><td>46948</td><td>97412</td><td>33853</td></tr></table>यू–डायस 2019–20 के अनुसार प्रारम्भिक विद्यालयों में शिक्षक : छात्र अनुपात – 1:35 तथा माध्यमिक विद्यालयों में 1:43 है।
3.	क्या यह बात सही है कि इस संबंध में मेरे द्वारा प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को पत्रांक–163/बीएन/2021 दिनांक 12.01.2021 प्रेषित करने के बावजूद अब तक इस पर कोई भी ठोस कार्रवाई संपन्न नहीं हुई है,	अस्वीकारात्मक। राज्य के माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आधारभूत संरचना एवं अत्याधुनिक शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु पत्र में उल्लिखित सुझाव एवं निदेश के आलोक में विभाग एवं झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा निम्नांकित कार्रवाई सुनिश्चित की गयी है :– • व्हाट्सअप के माध्यम से प्रत्येक दिन विद्यार्थियों को पठन सामग्री उपलब्ध करायी गई, जिससे राज्य के लगभग 13 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। • दूरदर्शन के माध्यम से प्रत्येक दिन 3 घण्टे की कक्षा 'हमारा दूरदर्शन–हमारा विद्यालय' का संचालन किया गया, जिसमें राज्य के लगभग 10 लाख विद्यार्थियों ने भाग लिया है। • विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों तथा शिक्षकों के सहयोग से मोहल्ला कक्षा का आयोजन किया गया। • झारखण्ड डीजी स्कूल एप तथा लर्नेटिक एप के माध्यम से पठन सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है। उक्त एप के माध्यम से राज्य के लगभग 10 लाख विद्यार्थी आच्छादित हुये हैं। • कोविड–19 के दौरान कक्षा 1 से 8 के सभी विद्यार्थियों एवं कक्षा 9 एवं 10 की छात्राओं को उनके घरों तक पाठ्य–पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। यह सुविधा राज्य के लगभग 39 लाख विद्यार्थियों को प्राप्त हुई है।

		• कक्षा 1 से 8 के सभी विद्यार्थियों को उनके घरों तक वर्कबुक उपलब्ध करायी गयी है। यह सुविधा राज्य के लगभग 36 लाख विद्यार्थियों को प्राप्त हुई है। • विद्यार्थियों में आई.सी.टी. के क्षेत्र में आधारभूत संरचना को विकसित करने पर निरंतर कार्य किया जा रहा है। वर्त्तमान में 974 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आई.सी.टी. लैब की स्थापना की गई है तथा निरंतर इसका उपयोग विद्यार्थियों के द्वारा किया जा रहा है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में वर्त्तमान में टेट एग्जाम पास 1 लाख अभ्यर्थियों के मध्य से उक्त रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति करवाते हुए राज्य के सरकारी स्कूलों में भी समान शिक्षा पद्धति लागू करवाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं हो क्यों?	माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या 5938 एवं 5939 दिनांक 14.07.2016 को निरस्त किये जाने के पारित आदेश एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के संकल्प ज्ञापांक 821 दिनांक 05.02.2021 द्वारा पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या 3854 दिनांक 01.06.2018 (यथासंशोधित) तथा पत्रांक 1044 दिनांक 18.02.2021 द्वारा गैर अनुसूचित जिलों के परीक्षाफल प्रकाशन/नियुक्ति करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए विभागीय पत्रांक 5974 दिनांक 23.11.2020 को भी आहरित किये जाने के आलोक में तत्काल नियुक्तियों के संबंध में सुसंगत कार्रवाई प्रतीक्षित है। साथ ही, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के पत्रांक ***NCTE-Acad 023/17/2020-O/o US (Acad.)-HQ dated 03.02.2021*** के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के आलोक में वर्ग–09 से 12 तक के शिक्षकों की नियुक्ति हेतु भी शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य रूप से संचालित एवं लागू किये जाने के संबंध में दिनांक 31.03.2021 के पूर्व विहित प्रपत्र में विवरण एवं आंकड़े की मांग की गयी है, ताकि निर्धारित तिथि के उपरान्त इस संबंध में प्राप्त सुझाव एवं विवरण के आधार पर मानक संचालन प्रक्रिया, आदि निर्धारित की जा सके।

03/03/2021
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–01/2021 456 रांची, दिनांक 01/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/2021
सरकार के उप सचिव।